BIWAL

srijan सृजन
Self-Reliant Initiatives through Joint Action

तालाब और जल प्रबंधन समिति (टीएमसी) के संचालन के लिए नियम और कानून



तालाब और जल प्रबंधन समिति (टीएमसी) के संचालन के लिए नियम और कानून

1. तालाब प्रबंधन समिति (टीएमसी) का नाम:

.....(ग्राम का नाम) तालाब प्रबंधन समिति.....
.....(ग्राम पंचायत का नाम).....

2. कार्यका क्षेत्र:

तालाब प्रबंधन समिति के संचालन का क्षेत्र.....गाँव /बस्ती.....
.....ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाला.....ब्लॉक.....
.....जिला.....

3. परिभाषाएँ :

इन नियमों में, जब तक कि अन्यथा कहा गया हो कि निम्न शर्तों का अर्थ निम्न के अनुसार होंगा :



1 **ग्राम सभा–** का अर्थ है एक निकाय जिसमें ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर शामिल गाँव से संबंधित चुनावी भूमिकाओं में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं।



2 **ग्राम–** का अर्थ है ग्राम पंचायत के सभी वार्डों का भौगोलिक क्षेत्र।



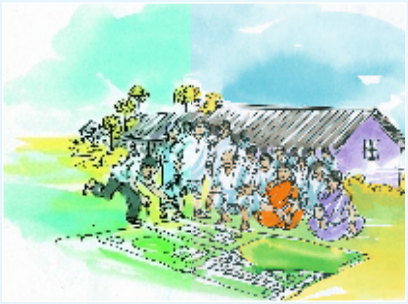
3 **परियोजना–** का अर्थ है जल, कृषि और आजीविका परियोजना के लिए बुंदेलखंड पहल जिसका नाम "BIWAL" है।



4 **सरकार–** का अर्थ है राज्य सरकार।



5 **सुविधा–** से तात्पर्य परियोजना के तहत स्थापित जल ग्रहणया सेवा सहित एक तालाब प्रणाली से है और इसमें नव स्थापित या कायाकल्प और पुनर्वासित या विद्यमान हैं



6 **निवास–** का अर्थ है ''बस्ती'', आदि के रूप में एक गाँव के भीतर घरों का समूह



7 **"टैंक कायाकल्प योजना"** का अर्थ है, परियोजना के तहत टीएमसी द्वारा तैयार किए गए गांव के पीने और सिंचाई के पानी को हल करने के लिए लोगों की भागीदारी के माध्यम से तैयार की गई और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित योजना



4. लक्ष्य और उद्देश्यः

उद्देश्य–

तालाब प्रबंधन समिति का उद्देश्य पंचायत के तहत गांवों की आबादी तक स्थायी सतह और भूजल की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर एक भागीदारी और मांग आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से परियोजना को लागू करने में ग्राम पंचायतों और ग्राम सभा की सहायता करना होगा।

निम्न लिखित लक्ष्य तालाब प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया जाना है–

क) तालाब प्रबंधन समिति को तालाबों का प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए कि उपलब्ध पानी अगले मॉनसून तक खेती और घरेलू उपयोग की जरूरतों को पूरा करे।

ख) तालाब प्रबंधन समिति को तालाब कायाकल्प के दौरान गाद के लाभार्थियों और समुदाय से उनके पानी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए काम पूरा होने के बाद तालाबो के रखरखाव के लिए उनसे योगदान लेना चाहिए तथा पंचायतीराज संस्थानों को प्रभावित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। योगदान की राशि संबंधित तालाब प्रबंधन समिति द्वारा उनकी बैठक में तय की जाएगी जो तालाब प्रबंधन समिति के बैंक खाते में दिन–प्रतिदिन जमा की जाएगी।



5. तालाब प्रबंधन समिति (टीएमसी) की संरचना–

सभी कार्यात्मक उद्देश्य के लिए, प्रत्येक तालाब के लिए एक तालाब प्रबंधन समिति (TMC) होगी। तालाब प्रबंधन समिति में एक सामान्य निकाय शामिल होगा जिसमें गाँव का कोई भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थी सदस्य बन सकता है। तालाब प्रबंधन समिति की साधारण सभा (जनरल बॉडी) जो कार्यों के संचालन लिए एक कार्यकारी निकाय का चुनाव करेगी। तालाब प्रबंधन समिति की विस्तार संरचना, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां नीचे वर्णित हैं।

5.1 तालाब प्रबंधन समिति की साधारण सभा–

ग्राम सभा ग्राम पंचायत के परामर्श से तालाब प्रबंधन समिति (सामान्य निकाय) के सदस्यों की नियुक्ति करेगी। तालाब के लाभार्थी जिनके पास तालाब के नीचे या ऊपर की ओर अपनी कृषि भूमि है और कायाकल्प किए गए तालाब की बढ़ती क्षमता के कारण पानी का लाभ मिलने की संभावना है, साथ ही गांव के सामान्य नागरिक जिनका पेयजल स्रोत भूजल पर निर्भर है तालाब प्रबंधन समिति की साधारण सभा का सदस्य बन सकता है।



5.1.1 तालाब प्रबंधन समिति सामान्य निकाय की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां–

क) अनुमोदित टैंक कायाकल्प/विकास और जल प्रबंधन योजना को समझें क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, संचालन और रखरखाव, खरीद की व्यवस्था, पर्यवेक्षण का कार्यान्वयन, सामुदायिक सहभागिता युक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करना आदि को शामिल करते हुए पुनर्भरण और कायाकल्प की आवश्यकताओं जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग, लागत का प्राक्कलन और अन्य विवरण का एक विस्तृत प्रस्ताव (प्लान) तैयार करना।

ख) उन किसानों से गाद की मांग के लिए आवेदन आमंत्रित करें जो अपने उबड़ खाबड़ खेत पर मिट्टी ले जाने के लिए इच्छुक हैं। इन किसानों को शॉर्ट लिस्ट करना और उनके खेत की भूमि पर गाद की मांग (ट्रॉलियों की संख्या और मिट्टी के आवंटन के दिनों की संख्या) में ले जाया जाना चाहिए। तालाब प्रबंधन समिति यह सुनिश्चित करेगी कि किसान की भूमि के लिए आवश्यक गाद का परिवहन समान और न्यायपूर्ण सिद्धांत पर हो। यदि इससे कोई विवाद उत्पन्न होता है तो तालाब प्रबंधन समिति की कार्यकारी निकाय की सक्रिय भागीदारी से सौहार्दपूर्वक हल किया जाना चाहिए और यदि यह विवाद अभी कायम है तो तालाब प्रबंधन समिति सामान्य निकाय की बैठक में चर्चा कर के हल किया जा सकता है।

ग) तालाब के कायाकल्प के दौरान और बाद में नकदी या तो अन्य प्रकार से लाभार्थी सदस्यों से सहयोग राशि के लिए स्वीकृति।

घ) जल संसाधन प्रबंधन उपायों के लिए ग्राम पंचायत से सिफारिशय जिस में कृषि और पीने के पानी के उपयोग के लिए जल संसाधनों का संरक्षण और विनियमन करना शामिल है।

च) तालाब प्रबंधन समिति कृषि और पीने के लिए हर साल मानसून के मौसम के बाद उपलब्ध सतही और भूजल को समझेगी। अगले मानसून के मौसम तक पीने के पानी की जरूरत को हासिल करने के बाद, सिंचाई की विभिन्न जरूरतों के लिए शेष जल संसाधनों की योजना बनाई जा सकती है। तालाब प्रबंधन समिति उपलब्ध पानी के आधार पर फसल के पैटर्न को बढ़ावा देगी और किसी भी अधिक पानी की फसलों जैसे, केला, गन्ना चीनी को बढ़ावा नहीं देगी।



5.1.2 ग्रामसभा के साथ तालाब प्रबंधन समिति के सामान्य निकाय का संबंध –

एक साधारण ग्रामसभा के लिए निर्धारित कोरम के अलावा, परियोजना से संबंधित एजेंडा मद पर चर्चा करने वाली ग्रामसभा में निम्नलिखित विशेष कोरम होगा–

क) लाभकारी परिवारों के 25% से कम का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।

ख) गाँव के प्रत्येक मजरे से लाभकारी परिवारों के 25% से कम का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।

ग) 30% से कम महिलाओं की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए।

घ) परियोजना गतिविधियों से संबंधित ग्रामसभा के सभी निर्णयों के लिए एक अलग मिनट बुक रखी जाएगी।

च) ग्रामसभा की परियोजना के तहत निम्नलिखित भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ होंगी।

छ) BIWAL कार्यक्रम में भाग लेने का प्रस्ताव।

ज) तालाब प्रबंधन समिति की जनरल/कार्यकारी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाना।

झ) तालाब प्रबंधन समिति कार्यकारी निकाय के लिए व्यापार के संचालन के लिए नियमों को मंजूरी और संशोधन की संस्तुति

ट) यदि सामुदायिक योगदान के बारे में जैसे समुदाय के सदस्यों से श्रम योगदान का प्रकार, टैरिफ दरोंके मॉडल, संचालन और रखरखाव शुल्क आदि तय करने में तालाब प्रबंधन समिति की कार्यकारी निकाय में आम सहमति पूरी नहीं हुई है, तो उन्हें निश्चित कर तालाब प्रबंधन समिति / VP के लिए लागू करना।

ठ) परियोजना गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा हर तीन महीने में करना, ताकि परियोजना की समावेशिता, पारदर्शिता,लागत प्रभावशीलता और अन्य सिद्धांतों को सुनिश्चित किया जा सके।

तालाब प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि ग्रामसभा आयोजित कर उपरोक्त सभी जिम्मेदारियों को मुक्त कर सकटी हैं।



5.2 तालाब प्रबंधन समिति का कार्यकारी निकाय–

तालाबप्रबंधन समिति (सामान्य निकाय) परियोजना के सुचारू कामकाज के लिए अपने सदस्यों से एक कार्यकारी निकाय की नियुक्ति करेगा, जो BIWAL परियोजना के तहत तालाब कायाकल्प की प्रतिदिन की विभिन्न गतिविधियों में शामिल होगी। तालाब प्रबंधन समिति का कार्यकारी निकाय परियोजना संचालन संस्था के साथ परामर्श व निर्णय लेने के लिए सक्षम होना होगा। तालाब प्रबंधन समिति कार्यकारी निकाय में अधिकतम 11 सदस्य शामिल होंगे और तालाब प्रबंधन समिति गठन के दौरान निम्नलिखित नियमों का पालन किया जाएगा–

क) कम से कम एक सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों से होगा।

ख) 50% से कम सदस्य महिलाएं नहीं होंगी।

ग) सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रतिशत आरक्षण अनुसार पिछड़े वर्गों से 30% से कम सदस्य नहीं होंगे।

घ) इसमें महिला स्व सहायता समूह, युवा क्लब और गाँव में मौजूदा समुदाय आधारित संगठन का प्रतिनिधित्व होगा।

च) इसमें गाँव के भीतर के सभी वार्डों और मजरों से संभव सीमा तक प्रतिनिधित्व होगा।

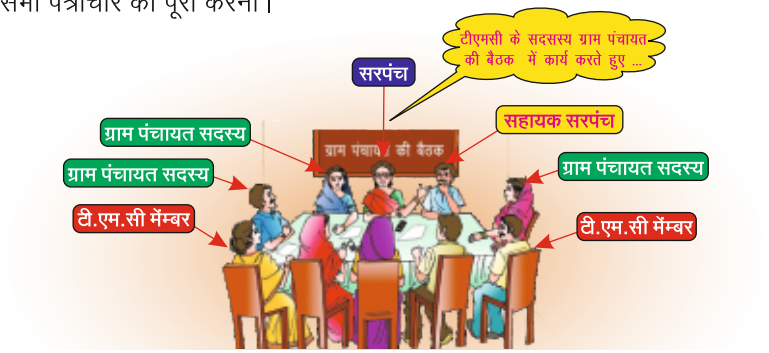


5.2.1 ग्रामग्राम पंचायत के साथ तालाब प्रबंधन समिति कार्यकारी निकाय का संबंध–

तालाब प्रबंधन समिति ग्रामपंचायत की ग्राम वाटरशेड और स्वच्छता समिति के अधीन एक उप–समिति अस्तित्व में होगी । इसमें वीपी की सहायक कंपनी का दर्जा होगा।

परियोजना के तहत तालाब प्रबंधन समिति के लिए ग्राम समिति के उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं, इन गतिविधियों को करने में ग्राम समिति की सहायता करेंगे–

क) परियोजना में शामिल करने, प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने आदि के लिए आवेदन करने सहित सभी पत्राचार को पूरा करना।



ख) किसी भी घटक की मरम्मत के लिए कार्य से संबंधित विभिन्न विभागों से सभी पत्राचार को पूरा करना जिससे तालाब की क्षमता में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए यदि स्पिलवे के माध्यम से रिसाव होता है या अतिप्रवाह संरचना को किसी मरम्मत की आवश्यकता होती है तो ग्राम पंचायत संबंधित सरकारी विभाग के साथ उचित कार्रवाई के लिए लिखेगी और संरचना की मरम्मत या पुनर्निर्माण जैसी उचित कार्रवाई करेगी ताकि संरचना की क्षमता में वृद्धि हो। इसी प्रकार यदि तालाब के जल ग्रहण क्षेत्र में वन भूमि है तो उचित मृदा अपरदन नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण करने के लिए विभाग से संचार स्थापित करना, ताकि तालाब पुनः खराब स्थिति में न आ जाये।

ग) परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगीऔर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि विवाद या टैंक क्षेत्र में अतिक्रमण से उत्पन्न किसी भी विवाद को हल करेंगी। ग्राम पंचायत काम शुरू करने से पहले अतिक्रमण हटाने और परियोजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करेगी।

घ) ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना, कार्यवाही को लिखने और ग्राम सभा के निर्णयों का पालन करने की व्यवस्था करना।

ई) तालाब प्रबंध समिति की गतिविधियों का समन्वयन करना ।

च) VWSC की उप–समिति के रूप में तालाब प्रबंधन समितिकी नियुक्ति को मंजूरी।

छ) परियोजना के तहत बनाई गई सभी संपत्तियों को रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत खुद जिम्मेदारी लेंगी।

5.2.2 तालाब प्रबंधन समिति (कार्यकारी निकाय) के सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन–

तालाब प्रबंधन समिति कार्यकारी निकाय के सदस्यों को या तो आम सहमति से चुना जाता है या तालाब प्रबंधन समिति जनरल बॉडी द्वारा चुना जाता है। तालाब प्रबंधन समिति के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड लागू होंगे–

क) तालाब प्रबंधन समिति साधारण सभा (जनरल बॉडी) और ग्रामसभा के सदस्य।

ख) सामुदायिक विकास गतिविधियों विशेष रूप से जल संसाधन विकास करने के लिए योग्यता और अनुभव काहोना।

ग) ग्रामसभा ६ समुदाय के सदस्यों द्वारा ईमानदारी, अखंडता और सम्मान के लिए पहचान होना ।

घ) किसी भी सिविल निर्माण कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए, या इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा हो जो परियोजना के अंतर्गत आ रही हैं।

तालाब प्रबंधन समिति के कार्यकारी निकाय केकिसी भी या सभी सदस्यों को ग्राम सभा द्वारा हटाया जा सकता है या निम्नानुसार होने पर सदस्यताबंद कर देगी–

क) मृत्यु के बाद

ख) धन की हेराफेरी या कुप्रबंधन के आरोप, परियोजना के सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन, गांव के हित के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करना। हालाँकि निर्णय ग्राम सभा में संबंधित सदस्य को इस उद्देश्य से सुनने के बाद ही लिया जाएगा।

ग) परियोजना कार्यान्वयन संगठन, सरकार या एजेंसी द्वारा अनियमितता का उल्लेख किया गया होजो तालाब प्रबंधन समितिके लिए अधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत उल्लिखित किया गया हो ।

घ) ग्रामसभा के सदस्यों के कम से कम एक तिहाई बहुमत द्वारा पास किया गया हो ।

च) किसी सदस्य को हटाने का निर्णय ग्राम सभा की एक विशेष बैठक में बहुमत द्वारा पारित किया जायेगा, जिसमें कम से कम 80% उपयोगकर्ता शामिल होगें, जिसमें से ‡å% महिलाएँ होंगी।



5.2.3 तालाब प्रबंधन समिति (कार्यकारी निकाय) के पदाधिकारी–

क) तालाब प्रबंधन समितिके सदस्य एक अध्यक्ष, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का चयन करेंगे।

ख) या तो कोषाध्यक्ष या सचिव एक साक्षर महिला हो सकते हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं। सचिव की न्यूनतम योग्यता 10 वीं कक्षा होगी।

ग) तालाब प्रबंधन समिति अपने पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को दी गई शक्तियों के साथ सामान्य निकाय की बैठक में या ग्राम सभा में सौंपेगी।



5.2.4 तालाब प्रबंधन समिति कार्यकारी निकाय की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां–

बैठक में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए 3/4 का कोरम आवश्यक है। अध्यक्ष और सचिव पहले से योजना बनाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्णय समय पर लिए जाएं ताकि कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

क) परियोजना के लिए प्रस्तावित कार्य के लिए संबंधित प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) या प्रतिनिधित्व के लिए परियोजना कार्यान्वयन संगठन को सुगम बनाना। अपेक्षित अनुमति के संबंध में किसी भी विसंगति के मामले में, तालाब प्रबंधन समिति अपने प्रतिनिधि को परियोजना के सदस्यों के साथ–साथ विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के पास अभ्यावेदन के लिए भी भेजेगी।

ख) गाँव के सदस्यों को जुटाना और गाँव की जल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक क्रिया शीलता के साथ धन,श्रम और समय या अन्य संसाधनों के योगदान और भागीदारी को सुनिश्चित करना।



ग) यह सुनिश्चित करना कि तालाब के कायाकल्प के बाद तालाब से पानी का कोई सीधा उठाव नहीं होगा, ताकि भूजल पुनर्भरण द्वारा पानी स्थानीय विभिन्न भू–जल निष्कर्षण इकाइयों को उपलब्ध हो सके।

घ) परियोजना कार्यान्वयन संस्था तालाब प्रबंधन समिति के नजदीकी समन्वयन में अनुमोदित तालाब विकास और जल प्रबंधन योजना को लागू करेगा, जिसमें सेवाओं, वस्तुओं, कार्यों और सामग्रियों की खरीद शामिल है। कार्यान्वयन और निगरानी के दौरान सामग्री और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना तालाब प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी होगी।

च) परियोजना कार्यान्वयन संस्था के साथ आम सभा / ग्रामसभा की बैठकों में प्राथमिकता वाली समस्याओं को हल करने के लिए गाँव की पानी की स्थिति का अध्ययन, पहचान, प्राथमिकता और सिफारिश करना।

छ) परियोजना कार्यान्वयन संस्था के साथ समन्वय बनाते हुए पानी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लागत प्रभावशीलता, स्थिरता और गांव में सभी को समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समाधानों की सिफारिश करना।

ज) कार्यपूर्ण तालाबों के अनुमोदन के लिए दस्तावेजों को समझना, व्यय विवरण तैयार करना।

झ) तालाब प्रबंधन समिति और परियोजना कार्यान्वयन के कामकाज पर प्रदर्शन ऑडिट, वित्तीय ऑडिट और तकनीकी ऑडिट के लिए एजेंसियों की सिफारिश करना।

ट) तालाब प्रबंधन समिति पानी के स्तर (सतह, जमीन और मिट्टी) की निगरानी करेगी और समुदाय में पानी के उपयोग की दक्षता के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेगी ।

5.2.5 तालाब प्रबंधन समिति के सचिव की जिम्मेदारी–

क) सभी बैठकों, विशेष रूप से लिए गए निर्णयों की कार्यवाहियों को लिखना। ''टीएमसी रजिस्टर'' में उपस्थिति के दस्तावेज (रिकॉर्ड) को भी दर्ज करेगा, जिसमें उपस्थित लोगों के नाम के साथ हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान होगा। बैठक के दौरान हस्ताक्षर लिया जाएगा, बाद में नहीं।

ख) बैठक को बुलाने के लिए अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को याद दिलाना।

ग) खाता बही में सभी वित्तीय लेन देन के दस्तावेज (रिकॉर्ड) को बनाए रखना।

घ) सभी बैठकों में दस्तावेज (रिकॉर्ड), कार्यवाही और आय–व्यय प्रस्तुत करना।

च) खातों, अभिलेखों और खातों की निगरानी के बारे में समिति सदस्यों को शिक्षित करना।

छ) उनके कार्यकाल समाप्त होने पर जिम्मेदारी लेने के लिए समूह में किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षित करें।

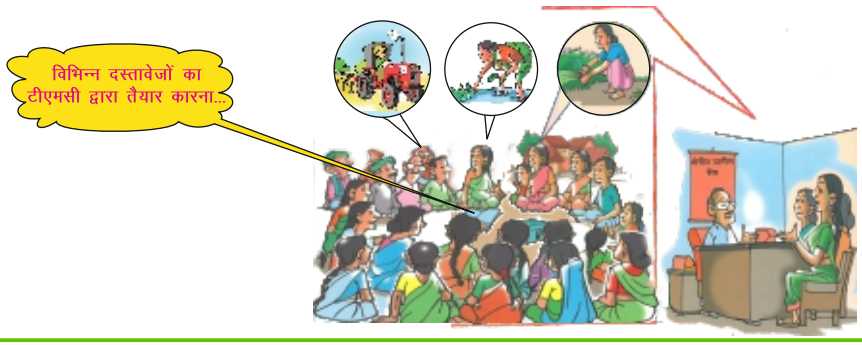


5.2.6 बैठकें और दस्तावेज (रिकॉर्ड)–

क) तालाब प्रबंधन समिति को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन में जितनी बार आवश्यकता होगी, मिल बैठ कर निर्णय लेंगे। तालाब प्रबंधन समितिकी महीने में कम से कम एक बार बैठक अवश्य होगी।

ख) तालाब प्रबंधन समिति के लिए अनिवार्य एजेंडा– मौसमी चार्ट

फसल का सीजन	माह	बैठक का एजेंडा
खरीफ	**जून**	• फसलों, उनकी प्रजातियों एवं पानी के बजट पर निर्णय • खरीफ फसल की लागत की खरीद करना • कार्य हो रहे संरचना के आय व्यय के दस्तावेजों का समेकन एवं प्रस्तुतीकरण
	जुलाई	• संरचना का कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र लेना • व्यय विवरण खाते का समेकन
	अगस्त	• निर्मित जल क्षमता का प्रारंभिक मूल्यांकन– जल उपयोग दक्षता अपनाने के लिए किए जाने वाले उपाय • पानी के लिए तैयार की गई संरचना एवं वर्षा के आंकड़े को दिखाना एवं जागरूकता कर्यक्रम आयोजित करना • जल संसाधन प्रबंधन उपायों के लिए मनरेगा के माध्यम से तालाबों अच्छी तरह से मरम्मत, पेयजल आदि काप्लान तैयार करना और ग्राम सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करना

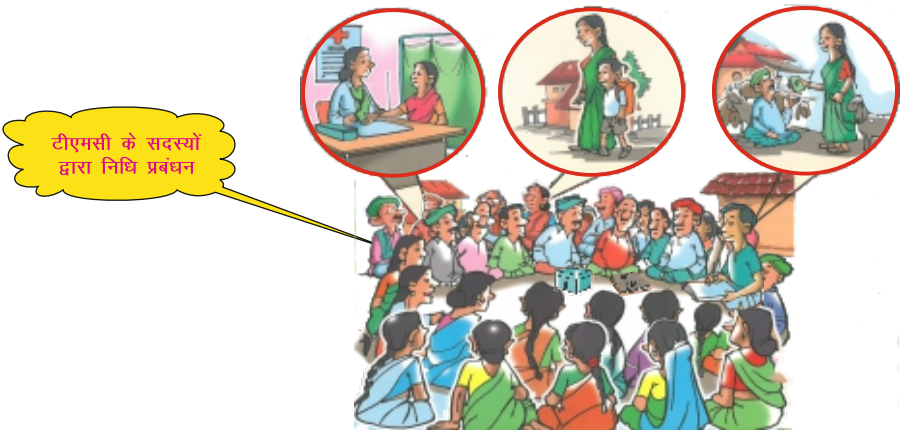


फसल का सीजन	माह	बैठक का एजेंडा
रबी	सितम्बर	• रबी योजना – पानी के बजट का संचालन • पानी निकासी के लिए पर्यवेक्षण योजना • रखरखाव प्रभार संग्रह
	अक्टूबर	• रबी फसल लागत की खरीद करना • 15 अगस्त की ग्राम सभा में प्रस्तुत प्लान का अनुसरण • ग्राम सभा में नई योजनाओं को प्रस्तुत करना • पानी निकासी की निगरानी, गांव के सामान्य स्थानों में वर्षा के आंकड़ों को दर्शाना
	नवम्बर	• नए चरण के तालाबों और अन्य जल संसाधनों का चयन • नई संरचनाओं के लिए ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)
	दिसंबर	• मौजूदा संरचनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी • संरचनाओं के रखरखाव के उपाय के लिए योजना तैयार करना
जायद	जनवरी	• मौजूदा संरचनाओं का पर्यवेक्षण और निगरानी • गर्मी की चरम सीमा के दौरान उपलब्ध पानी का आकलन • स्वच्छ पेयजल को सुरक्षित करने के लिए किए जाने वाले उपाय
	फरवरी	• गर्मी की चरम सीमा के दौरान उपलब्ध पानी का आकलन • स्वच्छ पेयजल को सुरक्षित करने के लिए किए जाने वाले उपाय
	मार्च	• अगले चरण की संरचनाओं की सूची को अंतिम रूप देना • ग्राम सभा के प्लान/प्रस्तावों को तैयार करना – सम्बंधित विभागों के साथ कन्वर्जेंस करने के लिए
	अप्रैल	• वित्तीय और भौतिक अद्यतन के साथ संरचनाओं के सूक्ष्म निगरानी के निष्कर्षों को प्रस्तुत करना
	मई	• वित्तीय और भौतिक अद्यतन के साथ संरचनाओं के सूक्ष्म निगरानी के निष्कर्षों को प्रस्तुत करना • खरीफ फसल योजना– कुओं का आंकड़ा,लागत खरीद योजना आदि का नियोजन

क) तालाब प्रबंधन समिति परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित अपनी बैठकों की कार्यवाहियों, ग्रामसभा बैठकों की कार्यवाहियों और वीपी की कार्यवाहियों का दस्तावेजीकरण एवं रख रखाव करेगी ।

ख) तालाब प्रबंधन समिति / वीपी सभी दस्तावेज दर्शकों, परियोजना कार्यान्वयन संस्था और सरकार द्वारा ऑडिट और अन्य सत्यापन के लिए उपलब्ध कराएगी।

ग) तालाब प्रबंधन समिति द्वारा रखे गए खातों सहित सभी वितीय एवं भौतिक दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज होंगे और जांच के लिए ग्राम सभा के किसी भी सदस्य को उपलब्ध कराए जाएंगे और प्रतियां फोटो कॉपी के मूल्य की प्राप्ति पर उपलब्ध कराई जाएंगी।



5.2.7 निधि और खाते–

क) तालाब प्रबंधन समिति द्वारा परियोजना कर्यांवायन संस्था या सरकार के साथ परामर्श से समय–समय परतैयार नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार ही खातों का प्रबंधन किया जायेगा ।

ख) परियोजना से संबंधित वित्तीय लेनदेन के दस्तावेजीकरण करने के लिए खातों की अलग–अलग पुस्तकें वीपी में रखी जाएंगी और वीपी कुल लेखा प्रणाली का अभिन्न अंग होगी वह तालाब प्रबंधन समिति द्वारा प्रतिदिन के लेनदेन के लिए प्रबंधित न होगी।

ग) उपयोगकर्ता परिवारों के सदस्यों से प्राप्त सभी बकाया राशि को ग्राम पंचायत के लिए बकाया माना जाएगा।

डी) तालाब प्रबंधन समिति बिना किसी लाभ–हानि के आधार पर काम करेगी और एक वर्ष में भुगतान से अधिक प्राप्तियों को लाभ के रूप में नहीं समझा जाएगा, लेकिन बाद के वर्षों में लेनदेन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

प्रमाणित किया जाता है कि ये नियम और कानून ग्राम सभा की बैठक में पढ़े गए, चर्चा की गई और अनुमोदित किए गए हैं ।

ग्राम पंचायत .....की ग्राम सभा की बैठक तिथि.....माह.....
वर्ष.....को स्थान.....में आयोजित हुई और गाँव के .....
परिवारों से ..... सदस्य और ..... महिलायें भी उपस्थित रहीं ।

हस्ताक्षर

अ) ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि–

1. ....., सरपंच हस्ताक्षर.....
2. ....., उप सरपंच हस्ताक्षर.....

ब) तालाब प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि–

1. ....., अध्यक्ष हस्ताक्षर.....
2. ....., सचिव / कोषाध्यक्ष हस्ताक्षर.....
3 ....., सदस्यों हस्ताक्षर.....
4. ....., सदस्य हस्ताक्षर.....
5. ....., सदस्य हस्ताक्षर.....



BIWAL

Bundelkhand Initiative for Water Agriculture and Livelihood (BIWAL)

Lead Organization

srijan सृजन
Self-Reliant Initiatives through Joint Action
www srijanindia org

Implementation Partners

CARD
CARD (Centre for Advance Research and Development) Newari (MP)

Arunoday Sansthan
Arunoday Sansthan Mahoba (UP)

Haritika
Haritika Jhansi (UP)/ Chhatarpur (MP)

Bundelkhand Sewa Sansthan

Yuva Koushal Vikash Mandal Hamirpur (UP)

Akhil Bhartiya Samaj Sewa Sansthan Chitrakoot (UP)